

## विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम	:-	जल शक्ति विभाग
तारांकित प्रश्न संख्या	:-	3264
उत्तर की तिथि	:-	18.09.2020
विषय	:-	हर खेत में पानी
प्रश्नकर्ता का नाम	:-	श्री अरूण कुमार (नगरोटा)
सम्बन्धित मन्त्री	:-	जल शक्ति मन्त्री

क्र०सं०	प्रश्न	उत्तर
(क)	गत 2 वर्षों में दिनांक 31.07.2020 तक प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर खेत में पानी योजना के अंतर्गत प्रस्तावित योजनाएं सेल्फ में आ गई है; यदि हां, तो कितनी तथा इनके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान है; और	(क) व (ख) सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।
(ख)	नगरोटा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की इस योजना के अन्तर्गत कितनी योजनाएं ली गई हैं; इनमें से कितनी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं व कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; ब्यौरा दें?	

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या 3264, जोकि श्री अरूण कुमार (नगरोटा) द्वारा पूछा गया है, से सम्बन्धित सूचना।

(क) जी हां।

वर्ष 2019 में 109 लघु सिंचाई योजनाओं का 558.89 करोड़ रू० का शेलफ भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा गया था परन्तु यह कुछ आपत्तियों के साथ वापस लौटा दिया गया था। अब पुनः भारत सरकार के निर्देशानुसार इस वित्त वर्ष 2020-21 में 230 लघु सिंचाई योजनाओं जिसमें 109 भी सम्मिलित हैं का 1493.64 करोड़ रू० का शेलफ बनाया गया है जिसे STAC की 60वीं बैठक तथा SLSC की 7वीं बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, और इसे भारत सरकार को भेजने की प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है तथा शीघ्र ही भारत सरकार को PMKSY के “हर खेत को पानी” घटक में स्वीकृति व वित्त पोषण हेतु भेज दिया जाएगा।

(ख)

इस शेलफ में नगरोटा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की 7 लघु सिंचाई योजनाएं 13.87 करोड़ रू० की प्रस्तावित हैं जिनकी स्वीकृति अपेक्षित है।